

कार्यालय सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड द्वितीय विराटनगर

क्रमांक: 227

दिनांक 02 मार्च 2023

श्रीमान उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

विषय:- प्रत्यावर्तन 0.9885 हैक्टेयर वन भूमि सड़क निर्माण कार्य एनएच-8 किमी नं. 181 (आतेला) से एसएच-08 ए (खाचरियावास कल्याणपुरा रेनवाल) किमी 0/0 से 13/0 तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान के संबंध में।

प्रसंग:- एफ(0)एफसीए/उवसंजउ/2022-23/14018 दिनांक 08.12.2022 एवं श्रीमान उप महानिरीक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी के पत्रांक 8 बी/राज(0)/48/2022-जेपीआर दिनांक 29.08.2022 के संदर्भ में।

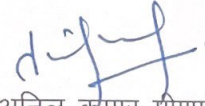
उपरोक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निम्नानुसार ईडीएस जवाब प्रस्तुत है।

भारत सरकार के संदर्भित पत्र में लिखा गया है कि कौनसे अधिकारी ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उल्लंघन के जिम्मेदार है इस संदर्भ में निम्नानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

(अ) सड़क का 112 मीटर हिस्सा जो कि तीन टुकड़ों में बना हुआ है के क्रम में निवेदन है कि उक्त सड़क राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 1992-1994 की अवधि में बनाई गयी है। अतः यह सड़क पूर्व में निर्मित है तथा नई सड़क नहीं बनायी गयी है।

(ब) उक्त 112 मीटर पूर्व में निर्मित सड़क तीन टुकड़ों में बनायी गई है व यह टुकड़े घोषित वन क्षेत्र से बाहर है तथा राजस्व रिकार्ड में वन भूमि में दर्ज है लेकिन वन विभाग के रिकार्ड में वन भूमि दर्ज नहीं है। (क्योंकि यह नोटिफाईड फोरेस्ट नहीं है) संभवत इसकी जानकारी उस समय वन विभाग को भी नहीं थी।

अतः जानबूझकर एफसीए 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। तदनुसार ईडीएस अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत है।


(अनिल कुमार मीणा)

सहायक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
उपखण्ड विराटनगर द्वितीय



